कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 772 / FP/UK/MIN/38285/2019 देहरादूनः दिनांकः 18 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सौंग 1, 2, 3 एवं जाखन 1 एवं 2 नदी के 628.8 है0 वन भूमि क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। FP/UK/MIN/38285/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रकरण उप खनिजों के चुगान से सम्बन्धित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त विषयक प्रयोजन हेतु वन विकास निगम, देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **628.8** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 18/9/19
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/MIN/38285/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की **मूल प्रति एवं पार्ट I से IV** तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
6. वन विकास निगम, 15/15 कालीदास रोड, डोभालवाला, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद–देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सौंग 1, 2, 3 एवं जाखन 1 एवं 2 नदी के 628.8 है0 वन भूमि क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। FP/UK/MIN/38285/2019

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त प्रयोजन हेतु देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत बहने वाली सौंग एवं जाखन नदी के 628.8 है0 आरक्षित वन भूमि से उप खनिजों का चुगान किया जाना प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपरोक्त उप खनिज चुगान हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

18/9/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 18/09/2019
स्थान : देहरादून